136

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर

फांसिस पुत्र श्री ई. फांसिस
निवासी–नौगांव तहसील नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार नौगांव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 108/अ–6/अ/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि आवेदक नौगांव का मूल निवासी है वर्तमान में उदयपुर राजस्थान में रहता है। आवेदक को दिनांक 19.07.1954 को डिप्टी कलेक्टर छतरपुर द्वारा भूखण्ड नं. 1/59 में 5600 वर्ग मीटर कर भूमि स्वामी पट्टा प्रदान किया गया था। जिसपर तब से लेकर आज वर्तमान तक आवेदक का मकान बना हुआ है तथा मकान बनाने की अनुमति मिनिश्पल बोर्ड बिन्ध प्रदेश रजिस्ट्रर नं. 4611/62 से मिली थी। किन्तु बिना किसी कारण के राजस्व अभिलेख में उपरोक्त भूमि म.प्र. शासन दर्ज कर दी गयी है जोकि अवैधानिक है तथा सुधार किया जाये।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3526/एक/2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19.12.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसील नौगॉव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 108/अ–6/अ/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जिला छतरपुर का एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह मांग की गयी थी कि आवेदक को दिनांक 19.07.1994 को डिप्टी कलेक्टर छतरपुर द्वारा भूखण्ड नं. 1/59 में 5600 वर्ग मीटर का पट्टा दिया गया था। जिसपर मकान बनाने की अनुमति मिनिश्पल बोर्ड बिन्ध प्रदेश द्वारा प्राप्त हुयी थी। किन्तु राजस्व अभिलेख में उपरोक्त भूमि म.प्र. शासन दर्ज कर दी गयी है जिसका सुधार किया जाये। उक्त आवेदन पत्र पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गयी पटवारी द्वारा बताया गया कि उपरोक्त भूमि शासकीय अभिलेख में म.प्र. शासन आबादी दर्ज है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार तहसील नौगॉव द्वारा आदेश दिनांक 15.05.2012 पारित कर प्रकरण को समाप्त किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।	

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक को डिप्टी कलेक्टर छतरपुर द्वारा भूखण्ड नं. 1/59 में 5600 वर्ग मीटर का पट्टा दिनांक 19.07.1954 को दिया गया था। तब से लेकर वर्तमान समय तक उसका कब्जा है। तथा मकान बना हुआ है मकान बनाने की अनुमति मिनिश्पल बोर्ड बिन्द प्रदेश से प्राप्त हुयी है पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार खसरा नं. 12 में फासिंस हाउस अंकित है। तहसीलदार तहसील नौगांव द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन दिनांक 15.05.2012 को कलेक्टर जिला छतरपुर को प्रेषित किया और अपने न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण इसी आधार पर समाप्त कर दिया। जो कार्यवाही विधिवत् एवं उचित नहीं है इसलिये वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार तहसील नौगांव द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया है कि वर्तमान प्रकरण में विधिवत् जॉच करने के पश्चात् तहसीलदार अपना जॉच प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर को प्रेषित कर दिया है ऐसी स्थिति में उनके न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रह जाता है इसलिये जो आदेश तहसीलदार तहसील नौगांव द्वारा पारित किया गया है। वह विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया है।

6– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को दिनांक 19.07.1954 को डिप्टी कलेक्टर छतरपुर द्वारा भूखण्ड नं. 1/59 में 5600 वर्ग मीटर का पट्टा जारी किया गया था। जिसपर मकान बनाने की अनुमति मिनिश्पल बोर्ड बिन्ध प्रदेश द्वारा रजिस्टर नं. 4611/62 से प्राप्त हुयी थी। हल्का पटवारी द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 1/59 रकवा 1.380 है0 भूमि

म.प्र. शासन आबादी दर्ज है। उपरोक्त भूमि पोलीटेकनिक हॉस्टल के सामने स्थित है जो मौके पर खाली पड़ी है। जिसके छोटे अंश पर एक कच्चा मकान बना हुआ है पटवारी के अनुसार खसरा नं. 12 फासिंस अंकित है। आवेदक द्वारा खतौनी प्रस्तुत की गयी है जिसमें भूमि स्वामी के कॉलम में किसी व्यक्ति का नाम लेख है जो अपठनी है। कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 74/अ–20–1/83–84 आदेश दिनांक 31.01.85 द्वारा क्षेत्रफल 5600 वर्गमीटर का पट्टा आगामी 30 वर्ष के लिये जारी किया है चूकि नजूल का रिकार्ड तहसील नौगॉव में नही है जबकि प्रकरण की विषय वस्तु नजूल की है इसी आधार पर तहसीलदार नौगॉव द्वारा प्रकरण में आदेश दिनांक 15.05.2012 पारित किया है। जो विधिवत् नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण ही नहीं किया है भूमि पर आवेदक का कब्जा वर्ष 2015–16 हाल साल खसरा में होना प्रमाणित है। आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया है, कि उसके भाई द्वारा अपने जीवनकाल में बिना किसी दबाव के वसीयतनामा सम्पादित किया गया है। जिसके आधार पर खसरा के कॉलम नं. 3 में आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित किया जाना चाहिये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर कोई विचार नहीं किया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही एवं पारित आदेश विधिवत् एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार नौगांव छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तहसीलदार नौगांव को निर्देशित किया जाता है कि नौगांव स्थित भूमि खसरा नं0. 1/59 रकवा 0.559 है0 भूमि पर दर्ज शासकीय शब्द

विलोपित कर जे.आर.फासिंस उर्फ रॉबर्ट पुत्र ई. फासिंस निवासी नौगांव हाल निवास उदयपुर राजस्थान का नाम भूमि स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

सदस्य